भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1427

10.02.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

महिलाओं को विधिक सहायता

1427. **श्री गोपाल शेट्टी:**

श्रीमती पूनम महाजन:

श्री जी.एम.सिद्धेश्वर:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे देशों का ब्यौरा क्या हैं जहां उन भारतीय महिलाओं को विधिक सहायता प्रदान करने संबंधी योजनाएं लागू की जा रही हैं जिन्हें उनके पति द्वारा छोड़ दिया गया है/या उनके साथ धोखाधड़ी की गई है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना से देश-वार कितनी महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या सरकार का अन्य देशों को भी उक्त योजना में शामिल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) भारतीय महिलाओं, जिन्हें विदेश में रह रहे उनके भारतीय पतियों द्वारा धोखाधड़ी की गई है/छोड़ दिया गया है, सहित प्रवासी भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों/केंद्रों में भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना की गई है।

(ख) इस योजना के तहत, विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 60 महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना से लाभान्वित महिलाओं का देश-वार संख्या का विवरण **अनुबंध - I** में दिया गया है।

(ग) और **(घ)** लागू नहीं।

***

अनुबंध - I

मिशनों/केंद्रों द्वारा विगत तीन वर्षों में धोखाधड़ी की शिकार/छोड़ दी गई भारतीय महिलाओं को प्रदान की गई कानूनी सहायता की देश-वार संख्या।

क्र.सं.	**देश का नाम**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**कुल**
1.	ऑस्ट्रेलिया	05	02	02	09
2.	कनाडा	02	03	11	16
3.	जर्मनी	शून्य	शून्य	01	01
4.	मलेशिया	01	01	शून्य	02
5.	दक्षिण अफ्रीका	शून्य	01	शून्य	01
6.	श्री लंका	शून्य	01	01	02
7.	स्पेन	शून्य	शून्य	01	01
8.	संयुक्त अरब अमीरात	02	05	07	14
9.	संयुक्त राज्य अमरीका	03	03	08	14
कुल		**13**	**16**	**31**	**60**

***